न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरूआ बनाम यदुवीर S/O श्रीराम जाट

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– RA/27/22 निर्णय दिनाँक :– 1/3/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम .... की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.0060 किस्म जमीन गैरमु० तालाब में से 0.01 रकबे पर श्री यदुवीर S/O श्रीराम जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूरा डालकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरूआ द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ टटरौंदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी यदुवीर S/O श्रीराम जाति जाट निवासी अरूआ को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.0060 में से 0.01 रकबे किस्म गैरमु० तालाब है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 18 Paise का 50 गुणा 9 नौ रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरूआ भू॰अ॰निरी॰ टटरौंदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)